न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी ओसियां

पीठासीन अधिकारीः—राजकेश मीणा आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्याः— 131ए/2022

प्रार्थीः—

केसूराम पुत्र श्री उदाराम जाति कुम्हार निवासी चान्दरख तहसील ओसियां

अप्रार्थीः— बनाम

प्रभुराम पुत्र श्री दीपाराम जाति कुम्हार निवासी ग्राम चान्दरख तहसील ओसियां

प्रार्थना पत्र 111, 128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम

उपस्थितः— प्रार्थी की ओर से— अधिवक्ता श्री दिनेश कुमार मदेरणा
अप्रार्थी की ओर से— अधिवक्ता श्री रघुवीर सिंह

—:: निर्णय ::—

दिनांक— 27/9/22

प्रार्थी द्वारा एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया कि— प्रार्थी की खातेदारी व कब्जा काश्त सुदा भूमि खसरा नम्बर 563/2 रकबा 1.7078 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 563/1 रकबा 1.7078 हैक्टेयर मौजा ग्राम चान्दरख, तहसील ओसियां, जिला जोधपुर की सरहद में आई हुई है। प्रार्थी की भूमि उक्त दोनों भूमियों के बीच में अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी व कब्जा काश्तसुदा भूमि खसरा नंबर 563 रकबा 3.3994 हैक्टेयर भूमि आई हुई है। अप्रार्थी प्रार्थी की खातेदारी व कब्जा काश्तसुदा भूमि की तरफ की सीमाओं को खुर्द बुर्द करना शुरू कर दिया प्रार्थी ने अपनी खातेदारी व कब्जा काश्तसुदा भूमि की पैमाईश करवाने बाबत प्रार्थना पत्र तहसीलदार ओसियां के समक्ष पेश किया व नियमानुसार राशि राजकोश में जमा करवाकर आय का पटवारी से दिनांक 09.03.2022 को सीमांकन करवाया सीमाज्ञान के समय मौतबीर भी उपस्थित थे। जिनके हस्ताक्षर हल्का पटवारी द्वारा पैमाईश रिपोर्ट पर करवाया। पैमाईश के दौरान हल्का पटवारी ने सीमा चिन्ह बताएं और हल्का पटवारी ने मिट्टी के कच्चे थम्बूडे बनाएं उस स्थान पर प्रार्थी पत्थर रोपने लगे तो अप्रार्थी ने बाधा व रूकावट पैदा की अप्रार्थी लडाई—झगड़ा करने हेतू आमदा है। प्रार्थी की खातेदारी व कब्जा काश्त की उक्त खसरा नम्बरान की भूमि में अप्रार्थी नाजायज तरीके से अतिक्रमण करने की नीयत रखते है। प्रार्थीगण ने अप्रार्थी को काफी समझाइस भी लेकिन नाजायज कब्जा करने हेतु आमदा है। वक्त पेमाइश के बाद अप्रार्थी ने विवाद पैदा किया तथा मौके पर शांति भंग करने की चेष्टा की है। इसीलिए प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि के खसरा नम्बर 563/2 व 563/1 की पत्थरगढी करवाना चाहते। ग्राम चान्दख के खसरा नम्बर 563/2 व 563/1की भूमि की राजस्व टीम गठित कर सीमा पर पत्थरगढी करवाने का आदेश फरमावे एवं एस.एच.ओ खेडापा को पुलिस इमदाद दिये जाने का आदेश फरमावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस प्रेषित किये गये। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर अधिवक्ता रघुवीर सिंह वकालातनामा व जवाब पेश किया।

बहस सुनी गई प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि प्रार्थी की खातेदारी व कब्जा काश्त सुदा भूमि है तथा अप्रार्थी प्रार्थी की सीमाओं को खुर्दबुर्द कर रहे है इसलिए पेमाइश करवाकर पत्थरगढी कार्यवाही करवाई जावें। अप्रार्थी की खातेदारी व कब्जा काश्तसुदा भूमि खसरा नंबर 563 रकबा 3.5994 हैक्टेयर की आई हुई है। जिसमें अप्रार्थी का रहवासीय मकान, दुकाने आदि वर्षों से बने हुई है तथा जिसमें अप्रार्थी शांतिपूर्वक कब्जा काश्त है तथा चारों तरफ पुराने कणा माठ कायम है तथा अप्रार्थी के खेत के चारों तरफ खूंटे रोपकर तारबन्दी वर्षों पुरानी की हुई है यहां यह लिखना उचित होगा कि प्रार्थी ने इस प्रार्थना पत्र के पेश करने से पूर्व न्यायालय में एक वाद पत्र संख्या 44/2022 अनवान केसूराम बनाम प्रभुराम वगैरा व स्थगन प्रार्थना पत्र संख्या

Scanned with OKEN Scanner

89/2022 अनवान केसूराम बनाम प्रभुराम वगैरा का दिनांक 22.03.2022 को पेश कर अपनी खातेदारी भूमि खसरा नंबर 563/2 व 563/1 में स्थगन ले रखा है। इससे पूर्व प्रार्थी के खातेदारी भूमि की पैमाईश दिनांक 09.03.2022 को होने के बावजूद भी प्रार्थी ने जानबूझकर न्यायालय को गुमराह करने की नीयत से तथ्यों को छिपाकर, पत्थरगढ्ढी का यह प्रार्थना पत्र पेश करने से पूर्व उक्त खसरान की भूमि का वाद पत्र प्रस्तुत कर स्थगन आदेश दे रखा है। स्वयं उक्त पत्थरगढ्ढी के मिथ्या प्रार्थना पत्र की आड में अप्रार्थी की खातेदारी व कब्जा काश्तसुदा भूमि में दखलंदाजी करना चाहता है। जबकि प्रार्थी को पत्थरगढ्ढी के प्रार्थना पत्र व स्थगन की आड में अप्रार्थी के कब्जा काश्तसुदा भूमि में किसी प्रकार की कोई दखलंदाजी करने का अधिकार नहीं है। अप्रार्थी अधिवक्ता ने माननीय न्यायालय डिवीजनल कमिश्नर जोधपुर की नजीर पेश की।

बहस पर मनन किया पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। यह स्पष्ट है कि प्रार्थीगण के खसरा नम्बर 563/2 रकबा 1.7078 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 563/1 रकबा 1.7078 हैक्टेयर मौजा ग्राम चान्दरख, तहसील ओसियां, जिला जोधपुर में खातेदार काश्तकार है तथा उपरोक्त खसरा नम्बर की भूमि की पत्थरगढी चाही गई है प्रार्थी को उक्त भूमि की पत्थरगढी करवाने का पूर्ण रूप से अधिकार है। इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

—::आदेश::—

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 563/2 रकबा 1.7078 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 563/1 रकबा 1.7078 हैक्टेयर मौजा ग्राम चान्दरख, तहसील ओसियां, जिला जोधपुर टीम गठित की जाकर पैमाइश करवाकर पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है पत्थरगढी के वक्त आवश्यकतानुसार मौके पर शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद ली जावें। पालना हेतु तहसीलदार ओसियां को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

आज दिनांक 27/9/22 को खुला न्यायालय में आदेश सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

Scanned with OKEN Scanner